

सं०सं०-16/एम.1-99/2025

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग,
बिहार, पटना-800015

पटना, दिनांक-

विषय:- बक्सर जिला में कार्यरत नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 08/2020 के अंतर्गत बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-305(आ.चि) दिनांक-14.03.2024 द्वारा यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को पूर्णत औपबधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं०-743(आ.चि) दिनांक-19.07.2024 द्वारा यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अनुमंडलीय अस्पताल/सदर अस्पताल/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला संयुक्त औषधालयों/राजकीय औषधालयों/आयुष कॉलेज अस्पतालों में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी योगदान देकर कार्यरत हैं। इस प्रकार सभी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

अतः निम्नांकित नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि (कॉलम-4) को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:-

| क्र० सं० | पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम | वर्तमान पदस्थापन स्थल | अवधि जिनका विनियमन किया जाना है। | अवकाश उपभोग की सूचना | यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या | यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/ GPF संख्या | सेवा विनियमन के प्रकार |
|----------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------|---|----------------------------|
| 1 | डा० मो० अनवारूल हक, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी | अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरा ब्रह्मपुर, बक्सर | दिनाक-15 03 2024 से 21 07.2024 तक 129 दिन | - | 18092425052090 | - | पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि |
| 2 | डा० इरफान अहमद खॉ, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी | अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भदार, नावानगर, बक्सर | दिनाक-15 03 2024 से 22 07 2024 तक 130 दिन | - | 21112425056782 | - | पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि |
| 3 | डा० अन्दलीब परवीन, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी | अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महदह, सदर प्रखण्ड, बक्सर | दिनाक-15 03 2024 के अपराहन से 22 07 2024 तक 129दिन | - | 15112425055787 | - | पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि |
| 4 | डा० जहबी फ़ैज, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी | अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरेजा, चौसा, बक्सर | दिनाक-16 03. 2024 के अपराहन से 21 07 2024 तक 128 दिन | - | 18112425058284 | - | पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि |
| 5 | डा० मो० अतहर अली, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी | अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नया भोजपुर, डुमराँव, बक्सर | दिनाक-16 03 2024 से 22 07 2024 तक 129 दिन | - | 27092425052816 | - | पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि |

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-16/एम.1-99/2025-256 (आ. चि.)

पटना, दिनांक-12.2.2026

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, बक्सर/संबंधित सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बक्सर/संबंधित सभी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/02/2026
सरकार के अवर सचिव
Manish